

उत्तर प्रदेश सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
(वैयक्तिक सहायक कक्ष)

संख्या - 308/सू0एवंज0सं0वि0(वै0स0क0)-2025
लखनऊ दिनांक 01 जनवरी, 2025
कार्यालय-आदेश

विभागीय अधिकारियों के मध्य कार्यावंटन संबंधी पूर्व निर्गत समस्त आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए श्री संजय कुमार सिंह, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी को अपने पूर्व आवंटित कार्यों के साथ-साथ रू० 5,00,000/- (रूपये पांच लाख) की सीमा तक प्री-आडिट विज्ञापन बीजकों (सजावटी एवं वर्गीकृत) को पारित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदनोपरान्त अग्रिम आदेशों तक प्रतिनिधानित किया जाता है।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्री-आडिट विज्ञापन बीजकों को संकलित कराकर संयुक्त रूप से पत्रावली अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदनार्थ प्रेषित करेंगे।

उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

(शिशिर)

निदेशक, सूचना।

संख्या- 308/सू0एवं ज0सं0वि0(वै0स0क0)-2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर निदेशक।
2. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी।
3. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक एवं समकक्ष स्तर के अधिकारीगण।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।
6. समस्त प्रभागों के प्रशासनिक अधिकारीगण।
7. संबंधित अधिकारी को अनुपालनार्थ।
8. गार्ड पत्रावली हेतु।

(शिशिर)

निदेशक, सूचना।